रामएकबाल पाठक बनाम प्रमिला देवी तथा अन्य

दिनांकः 22.06.2024 वाद पुकारा गया । उभय पक्षों की हाजिरी है मामले में प्रतिवादी सं 1 की तरफ से एक आवेदन दिया गया कि और कहा गया कि मामले में प्रतिवादी सं 1 गवंई लाचार महिला है जो दिनांक 09.10.2023 को न्यायालय में वकालतन हाजिर हुई और दिनांक 20.01.2024 को अपना जवाब दाखिल की । यह कि प्रतिवादी का पति बाहर मजदूरी करता है इसीलिए अकेले जाने में असमर्थ है । प्रतिवादी गठिया की बीमारी से ग्रसित है अतः लाचारगी के कारण हुए दस दिन के विलंब को माफ करने की कृपा करें और जवाब मंजूर करने की कृपा की जाए।

वादी की तरफ से मामले में आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि जानबूझकर मामले को लंबित रखने के आशय से तथा केस की जानकारी होने के बावजूद भी जवाब देने में देरी हुई अतः अतः आवेदन अस्वीकृत करने की कृपा की जाए।

उभय पक्षों को सुना। मामले में प्रतिवादी सं 1 के द्वारा आवेदन तथा वादी के प्रतिउत्तर का अवलोकन किया तत्पश्चात न्यायालय व्यवहार प्रकिया संहिता के **आदेश 8 नियम 1 का अवलोकन करती है जिसके अनुसार प्रतिवादी अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन समन की तामील की तारीख से तीस दिन के अन्दर उपस्थित करेगा।**

परन्तु यदि प्रतिवादी कथित तीस दिन के अन्दर लिखित कथन प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उसे लिखित कारणों के पंजीकरण के आधार पर जैसा कि न्यायालय द्वारा निर्धारित हो, किसी अन्य दिन प्रस्तुत कर सकता है पर जो समन की तामील की तारीख से नब्बे दिन से अधिक न हो। मामले में यद्यपि प्रतिवादी सं 1 के द्वारा विलंब कारित किया गया है। परंतु यह विलंब अधिकतम अवधि से मात्र दस दिन का है । प्रतिवादी एक महिला है अतः न्यायहित में 1000रु खर्चे जो मोतिहारी न्यायालय के नजारत में जमा किए जाएंगे । मामले में विलंब को माफ करते हुए प्रतिवादी सं 1 के लिखित कथन को **स्वीकृत** किया जाता है । वादी को निर्देश दिया जाता है कि वह मामले में अग्रिम कार्रवाई हेतु उचित कदम उठायें। वाद दिनांक .....वास्ते अग्रिम कार्रवाई।

मनीष कुमार पाण्डेय
अवर न्यायाधीश
अरेराज, पूर्वी चम्पारण।